संलग्नक-6

मेसर्स जिंदल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम–गोंडाडीह, महल नंबर–2 लाईम स्टोन डिपोजिट, तहसील–मस्तूरी, जिला–बिलासपुर छ0ग0 में प्रस्तावित लाईम स्टोन माइंस (121.69 हेक्टेयर) क्षमता 1.54 मिलियन टन/वर्ष के लिए भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 02.04.2011 को ग्राम–गोंडाडीह आश्रित ग्राम सोडाडीह में प्रस्तावित लाईम स्टोन माइंस लीज स्थल में संपन्न लोक सुनवाई की कार्यवाही विवरण।

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की ई0 आई0 ए0 अधिसूचना 14.09.2006 के अंतर्गत् मेसर्स जिंदल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम–गोंडाडीह, महल नं–2, तहसील–मस्तूरी, जिला–बिलासपुर छ0ग0 में प्रस्तावित लाईम स्टोन माइंस (121.69 हेक्टेयर) क्षमता 1.54 मिलियन टन/वर्ष के लिए भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली से पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मंडल में लोक सुनवाई हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के परिपेक्ष्य में जिला कलेक्टर, बिलासपुर द्वारा जन सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 02.04.2011 स्थान ग्राम–गोंडाडीह म आश्रित ग्राम सोडाडीह में प्रस्तावित लाईम स्टोन माइंस लीज स्थल बिलासपुर में श्री टी. के. वर्मा अपर कलेक्टर, बिलासपुर की अध्यक्षता एवं डॉ0 सी0 बी0 पटेल क्षेत्रीय अधिकारी, छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर की मौजुदगी में लोक सुनवाई प्रारंभ की गई।

अपर कलेक्टर एवं लोक सुनवाई के कार्यवाही के अध्यक्ष द्वारा उपस्थित जन समुदाय, जन प्रतिनिधियो एवं सभी अधिकारियों तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधियों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए जन सुनवाई के महत्व एवं उदेश्य पर प्रकाश डालते हुए जन सुनवाई प्रारंभ करने की विधिवत घोषणा की गई। साथ ही यह व्यवस्था दी गई कि लोक सुनवाई से सभी इच्छुक वक्ताओं को अपनी राय, सुझाव, विचार तथा आपत्तियां रखने के लिए पूरा–पूरा अवसर दिया जावेगा तथा सभी वक्ताओं के बोलने के पश्चात् ही जन सुनवाई की कार्यवाही समाप्त की जावेगी। साथ ही यह भी समझाईश दी गई कि जब कोई वक्ता अपना वक्तब्य दे रहे हो तो उस समय कोई अन्य व्यक्ति व्यवधान न डाले व कोई टीका टिप्पणी न करें, तथा शांति व्यवस्था बनाई रखी जावें। यह भी बताया गया कि जो कोई व्यक्ति लिखित में अपना विचार, सुझाव, सहमति व आपत्ति आदि देना चाहे तो वे दे सकते है। ऐसे लिखित मे प्राप्ति अभिस्वीकृति छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा दी जावेगी तथा उसे अभिलेख में लाया जावेगा। इसके पश्चात् अपर कलेक्टर एवं लोक सुनवाई के कार्यवाही के अध्यक्ष की सहमति से क्षेत्रीय अधिकारी, छ0ग0 प्र्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जन सुनवाई के महत्व एवं उदेश्य पर प्रकाश डालते हुए लोक सुनवाई के संबंध में छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अभी तक की गई कार्यवाही से जनसामान्य को अवगत कराया गया। जनसामान्य को यह भी अवगत कराया गया कि जन सुनवाई के प्रकाशन दिनांक से लोक सुनवाई तिथि तक परियोजना स्थापना के संबंध में 18 सामान्य पत्रों के माध्यम से एवं 830 पोस्ट कार्ड के माध्यम से सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां क्षेत्रीय कार्यालय, छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर में दिनांक 01.04.2011 तक प्राप्त हुई है।

इसके पश्चात् अपर कलेक्टर एवं लोक सुनवाई की कार्यवाही के अध्यक्ष द्वारा मेसर्स जिंदल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, के प्रतिनिधि को उद्योग के संबंध में सामान्य जानकारी के साथ पर्यावरणीय प्रभाव के संबंध में किये गये आंकलन की जानकारी से उपस्थित जन सामान्य को अवगत कराने का निर्देश दिया गया ।

M/s Jindal Steel

मेसर्स जिंदल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, के प्रतिनिधि श्री प्रदीप राय द्वारा प्रस्तावित लाईम स्टोन माइंस के संबंध में सामान्य जानकारी के साथ पर्यावरणीय स्थिति की जानकारी दी जाने की शुरूआत की गई। उपस्थित जन समुदाय के कुछ लोगो के द्वारा नारे बाजी किये जाने के कारण जिंदल के प्रतिनिधि द्वारा अपना वक्तब्य पूरा नहीं कर सकें।

इसके पश्चात् अपर कलेक्टर एवं लोक सुनवाई की कार्यवाही के अध्यक्ष द्वारा लाईम स्टोन माइंस के स्थापना के संबंध में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उपस्थित जन समुदाय से सुझाव, विचार, टीका टिपण्णी एवं आपत्तियां लिखित या मौखिक रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

लोक सनुवाई के प्रारंभ में कुछ लोगो द्वारा लोक सुनवाई स्थगित किये जाने एवं लोक सुनवाई में व्यवधान डालने के उद्देश्य से नारे बाजी की गई। नारे बाजी के बीच निम्न जन समुदाय द्वारा लाईम स्टोन माइंस स्थापना के पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में सुझाव, विचार, टीका टिपण्णी एवं आपत्तियां लिखित या मौखिक रूप से प्रस्तुत की गई :–

1. **श्री मुकेश भारद्वाज, ग्राम–धुरवाकारी, तह0–मस्तूरी, बिलासपुर** :– इस जिंदल के प्लांट से जिनको विरोध है। वे शासन से अपना विरोध दर्ज कराये। शासन ने इनको माइनिंग की अनुमति दी है। ये विरोध शासन स्तर पर होना चाहिए। ये शुरूआत मे ही बाहरी लोग यहां आकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की बात कर रहे है। ये जो गरीब जनता प्रभावित हो रही है। प्रारंभ से ही जनता के रोजगार को विवादित नहीं बनावे। जो किसान प्रभावित हो रहे है उनके मुआवजे के लिए बात करें।

2. **श्री राजकुमार अंचल, ग्राम–टिकारी, तह0–मस्तूरी, बिलासपुर** :– यहां पर एक बात आई है कि प्रभावित लोगो को ही बोलने का अधिकार है। फिर यहां जिला पंचायत, जनपद पंचायत तथा अन्य जन प्रतिनिधि को सूचना देने का क्या औचित्य है। जब उसको बोलेने का अधिकार नहीं है। तो क्या औचित्य है। जनप्रतिनिधियों को सूचना देने की जरूरत नहीं है। ये सब दलाल है।

3. **श्री टीकेश प्रताप सिंह, राष्ट्रीय प्रतिनिधि एन. एस. यू. आई, बिलासपुर** :– यहां पर किसानो के हित के लिए आये है। कोई यहां राजनीति सेकने नहीं आऐ है। यहां पर जिला पंचायत के चुने हुए सदस्य है। जनपद पंचायत के सदस्य है। यहां युवक कांग्रेस के लोकसभा क्षेत्र के अध्यक्ष, विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष, और मै एन एस यू आई का प्रतिनिधि हूँ। मै कोई नेतागिरी करने नहीं आया हूँ। यहां पर किसानों के हित के लिए आये है। नेतागिरी करने के लिए रायपुर व दिल्ली है। हम यहां किसानों के हित के लिए आए है। जे. एस. पी. एल. द्वारा जो तानाशाही रवैया अपनाया गया है। जिला पंचायत जनपद पंचायत के चुने हुए जन प्रतिनिधियों को बिना बताये हुए यहां पर जो जन सुनवाई हो रही है, उसका हम विरोध कर रहे है। यहां पर राजनीति एवं साजिश हो रहा है, जिससे लोक सुनवाई मे विरोध न हो पाये और इनका स्वार्थ सिद्व हो सके। ऐसे सोच और भावना के साथ जे. एस. पी. एल. के दलाल बैठे है, ऐसे जन सुनवाई का हम घोर विरोध करते है।

M/s Jindal Steel

(6)

4. **श्री रोहित शर्मा, एन. एस. यू. आई. प्रतिनिधि बिलासपुर** :– माइंस एक्ट के तहत् 150 से अधिक एम्पलाई होता है, तो उसकी सूचना सभी को देना अनिवार्य है। माइंस रूल और एक्ट का कोई पालन नहीं किया गया है। इंनवायरमेंट का जहां तक कंसर्न है, इनवायरमेंट क्लीयरेंस के लिए पूर्व में रायगढ में इनके उपर आरोप लगा है। माननीय केन्द्र मंत्री जयराम रमेश जी इनके ऊपर टिप्पणी की थी और इनके प्लांट को स्थगित किया था। इसके बाद भी अपने वर्चस्व का उपयोग गलत रूप से करते हुए प्लांट को स्टेब्लिश कर रहे है। मै रोहित शर्मा किसानों की तरफ से इन्वारमेंटल इशूज को रेज करना चाहता हूँ एवं मांग करता हूँ कि जिस तरह से जिंदल के प्लांट में राखड निकलने पर प्रतिबंध लगाया गया था, उसमे इन लोगो द्वारा उस पर क्यो अनदेखी की गई। यह प्लांट यहां खुलेगा तो यहां 35 डी. बी. ए. से ज्यादा का ध्वनि प्रदूषण होगा, जो यहां के निवासियों को रेस्पीरेटरी बीमारी का कारण बनेगा। अंडर ग्राउंड वॉटर रिजर्व और वॉटर टेबल को व्यापक रूप से हानि होगी। पर्यावरण के लिए एयर पालुशन की जहां तक बात है, जैसे–जैसे उत्खनन बढता जायेगा, वैसे–वैसे एस. पी. एम. डिपाजिट बढता जाएगा। इससे सिवीयर रेस्पीरेटरी बीमारी होगी। कर्नाटका, राजस्थान एवं हिमाचल प्रदेश की सरकार ने लाईम एक्शावेशन पर एक रिसर्च एनालिसिस किया है, जिससे वहां पर उत्खनन करने वाले लोगो पर होने वाला असर का अध्ययन रिपोर्ट आप स्वंय अध्ययन करे। उसके बाद इस जन सुनवाई को पहले यहीं पर रोक दिया जावे, क्योकि माननीय जन प्रतिनिधियों का अपमान है। दैनिक भास्कर कितने घरों में पढा जाता है। मुनादी के बिना जन सुनवाई आश्चर्य जनक रूप से और ये संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन है और संविधान के विरूद्ध कोई कंपनी स्थापित की जावेगी, तो वे कितने बड़े लोगों की हो यहां पर स्थापित करने नहीं दी जावेगी। बिना मुनादी के जन सुनवाई आश्चर्य जनक रूप से कहीं भी नहीं की जाती है, और उस पे एक आपत्ति और है कि जिनकी जमीन है उनको जन सुनवाई की पर्याप्त रूप मुनादी की जावे, पर्याप्त रूप से सूचना दी जावे, और घर–घर में इसका पत्र भेजा जावे। उसके बाद ही ये जन सुनवाई करायी जावे। गरीब भोले–भाले गरीब आदिवासियों की जमीन भी इसमें आने वाली है, जिनको इस बात की जानकारी भी नहीं दी गई है। पुनः जन सुनवाई करवाई जाए और इस जन सुनवाई को स्थगित किया जावे। इसके साथ ही जिंदल का हम इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि तमनार रायगढ में इन्होनें जो प्लांट खोला है, वहां पर आदिवासियों का खुला विरोध हुआ है। आदिवासी आज तक विरोध कर रहें है। यहां के लोगों को जानबूझकर प्रलोभन देकर मूर्ख बना रहें है। गिने चुने लोगों को लेकर और 80–99 प्रतिशत लोगों को पता भी नही कि बिचारों को क्या तकलीफ होने वाली है। जब तक इनको यह नही बताया जावेगा कि इनको क्या तकलीफ होने वाली है, और ये बहुत बड़ी–बड़ी बातें करते है कि उनकों लोकल रोजगार देंगे। ये जिंदल की बात कर रहें हैं। वहां लेबर हैं छत्तीसगढ़ के और अधिकारी कर्मचारी रायगढ़ में हरियाणा के लोग नौकरी करते है। छत्तीसगढ़ के नहीं, और रायगढ़ के जन प्रतिनिधियों का कितना सम्मान करतें है। इसके साथ ही जिला पंचायत, जनपद पंचायत ग्राम पंचायत और ग्राम सभा, ग्राम सचिव एवं क्षेत्र के विधायक, सांसद सारे के सारे लोगों को व्यक्ति गत रूप से कोई सूचना नहीं दी गई है। यदि सूचना दी गई तो अगली लोक सुनवाई की तारीख मुकम्मल की जावे, और हमको बताया जाए और सारे के सारे ग्रामीण आयेंगे, और उस दिन सुनवाई होगी। नोटिस देने के पश्चात् 14 दिन का समय हमको देंगे। उसके बाद ही हम आयेंगे नही तो नहीं आयेंगे। कोई भी कानून कोइ भी व्यवस्था जनता के

M/s Jindal Steel

भावना से चलती है। हमारे यहां के लोग गरीब लोग है जिनको पीने का पानी भी मुकम्मल नहीं हो रहा है, और यहां पर प्लांट डाल के पूरा का पूरा पानी को खत्म कर देंगे। पूरा का पूरा अंडर गाउंड वॉटर रिजर्व खत्म हो जायेगा। वर्धा में भी यही हो रहा है और जिंदल में भी यही हो रहा है। शासन भी यह चाहता है कि गरीब लोग की सेवा हो तथा यहां कृषि विश्व विद्यालय खोल दे। और यदि जिंदल को शौक है तो कृषि का प्रोजेक्ट लेकर आए तो हम स्वागत करेंगे। लाईम स्टोन का प्री स्टडी करें, और लाईम स्टोन के डस्ट से रेस्पीरेटरी डिसआर्डर क्या होता है। बहुत आश्चर्य जनक बात है कि जब हम अपने घरो में चूना से पोताई करते है। फिलिपिन्स मे एक रिसर्च हुआ है, जिसमे यह बात आई है कि चूना से कारसियो जैनिक असर होता है। इसका मतलब आपको बताता हूं, बहुत लंबे समय में कैंसर भी हो सकता है। ऐसे कोई प्लांट खुलने नहीं दिया जायेगा। इसका हम पुरजोर विरोध करते है। जय छत्तीसगढ़, जय मस्तूरी।

5. **श्री ज्वाला प्रसाद चतुवेर्दी, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत मस्तूरी** :– :–ये जन सुनवाई जो आप लोगो ने रखा है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते है। पहली बात तो यह है कि यह जो बताया गया है, कि 02 फरवरी को एक दैनिक भास्कर पेपर में न्यूज छापकर के आज 02 अप्रैल को 02 महीने बाद आप जन सुनवाई रख रहे है। ग्रामीण अंचल में कौन सा लोकल पेपर आता है। उसकी जानकारी आपको भी पता है। ये बताईये आप लोक सभा में सांसद सवाल करता है कि जनता पूछने जाती है। विधानसभा में विधायक जाता है कि वहां पर जनता जाती है। यहां पर 03 पंचायत है। पंचायत के लोगो को कहां पर सूचना दी गई है। किसने सूचना दिया। अगर सूचना नहीं है तो जनता की आवाज उठाने के लिए हम चुन कर बैठे है। काहे के लिए बैठे है। अगर जनता के रूप में 04 ग्रामीण को बिठाकर कुछ उल्टा पुल्टा करके उनको खिलाके पिलाके अपने पक्ष में कर लेगा। ये कहां का न्याय है। आपको सूचित कर रहा हूँ कि अगर सौहार्द पूर्ण यहां के लोगो का रोजगार, यहां के लोगो की सुविधा, यहां के लोगो को इस प्लांट से क्या लाभ होने वाला है, हम सभी तन मन से बिना किसी राजनीतिक भावना के जब तक संतुष्ट नही होंगे तो किसी हालत में यहां प्लांट लगने नहीं देंगे। अगर जबरदस्ती करेंगे तो हाईकोर्ट में ले जा के उसको हम केस लडेंगे और उसको 10 साल तक लडा के रखेंगे। प्लांट यहां नही लगेगा। इसकी सुनवाई विधिवत आम जनता को सूचना दे के ग्राम पंचायत स्तर पे, जनपद पंचायत स्तर पे, जिला पंचायत स्तर पर प्रतिनिधियों को बुलाके व्यवस्थित ढंग से हमारा जिला प्रशासन बैठे हम अपनी बात कहे, जनता अपनी बात कहे, कंपनी अपनी बात कहें, सामंजस्य बनाये। अगर सही ढंग का रास्ता निकलता है तो हम प्लांट का स्वागत करेंगे। नही तो प्लांट का पूरे मस्तूरी क्षेत्र की ओर से मै घोर विरोध करता हूं।

6. **श्री राजेश्वर भार्गव, सदस्य जिला पंचायत, बिलासपुर** :– जो किसान का दर्द नही जानता वो किसान नहीं है। कन्हार नहीं मटासी है और सब के उपर खाटी है। किसान खेत में हल चलाने का दर्द जानता है। यहां जो आज जन सुनवाई का डेट रखे है ये सुनियोजित है। क्योकि आज भारत श्रीलंका का फायनल मैच होना है। भारत जीत रहा है। यह सभी जानते है। 12.30 बज गया है। सुनवाई स्थगित किया जाये। कलेक्टर साहब मैने जिला पंचायत का प्रतिनिधि हूँ। मुझे

Mr. Jindal Steel

कोई पता नहीं है। अचानक एकाएक जन सुनवाई यहां पर रखा गया है। ये गलत है। मै मस्तूरी क्षेत्र के समस्त किसान, प्रभावित क्षेत्र के समस्त किसान की ओर से मै इसका घोर विरोध करता हूँ। आज की जन सुनवाई स्थगित की जावे, और अगली तारीख जनता को गांव–गांव मुनादी कराया जाए। हर प्रतिनिधि को गांव के मुखिया को जनता को भी पंचायत से लेकर जनपद, जिला, विधायक, सांसद सभी को सूचना दिया जाए। पर्याप्त समय में उसके बाद जन सुनवाई खुले मैदान मे होना चाहिए। गांव के जिस प्रभावित गांव है उस गांव के बीच में होगा। चार जनता के बीच मे होगा, तब हम स्वीकार करेंगे। अन्यथा नही करेंगे। जिला पंचायत में दी गई सूचना का पावती उपलब्ध करावे।

7. **धर्म भार्गव, ग्राम–टिकारी, मस्तूरी, बिलासपुर** :– मै जिला पंचायत का सदस्य नहीं हूँ, मेरी पत्नी सदस्य है इसलिए बोल रहा हूं। आज जो हो रहा है कार्यक्रम उसका मै घोर विरोध करता हूं, निंदा करता हूं। वर्मा जी आप कुशल अधिकारी के नाम से जाने जाते है। आज के डेट में बहुत दुख लगा। आपके प्रति कि आपके जैसे व्यक्ति ये कार्यक्रम कर रहे है, उसमे शामिल हुए है। मै इसका विरोध करता हूँ। ये कार्यक्रम गांव मे हो और पर्याप्त सबको सूचना दे के हो।

8. **श्री कृष्ण कुमार निरनेजक, ग्राम–मस्तूरी, बिलासपुर** :– आदरणीय वर्मा जी मै कृषि स्थायी समिति जनपद पंचायत मस्तूरी का सदस्य हूँ। मेरा आपसे निवेदन है कि सिस्टेमेटिक ढंग से जिला जनपद जनप्रतिनिधियो को और सरपंचो को सब को सूचना देने के बाद कृषि विभाग के अनुसार से खेत का मूल्यांकन कर रेट निर्धारण करके, उसके बाद जन सुनवाई के पहले ओपन बताया जाए कि कितना किसान का कृषि भूमि कितना एकड हिसाब हेक्टेयर दे रहे है, और सब के बीच गांव में जन सुनवाई होना चाहिए। उसमे कितना छोटा झाड है, वन समिति को लिखित में हम सब जन प्रतिनिधियों को भेजिये। आप फोल्डर जनपद में, जिला में और पंचायत में प्रोजेक्ट प्लान की प्रति हिन्दी व छत्तीसगढ़ी में चाहिए।

9. **श्री प्रशांत सोनी, इंटक विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष** :– इसका हमारा मजदूर संघ घोर विरोध करता है, क्योकि यह इनवायरमेंट प्रोजेक्शन को बढावा दे रहा है। और यह गरीबो की भूमि है, जिसे अनाधिकृत रूप से लिया गया है।

10. **श्री आशुतोष डहरे, युवा कांग्रेस अध्यक्ष मस्तूरी** :– स्थानीय लोगो को सूचना नहीं दी गई है।

11. **श्री दिनेश शर्मा, युवक कांग्रेस उपाध्यक्ष मस्तूरी** :– सभी क्षेत्र वासियों को सूचना दी जावे। जन प्रतिनिधियों को जन सुचना दी जावे। प्रदूषण की व्यवस्था की जावे।

12. **श्री भूषण सिंह मधुकर** :– ग्राम–भुरकुरा का एक किसान जिसका नाम है दूजराम। दूजराम जीवित है जिसको मै सामने ला रहा हूं। यह दूजराम जीवित है सामने खड़ा है। बेचने वाला है दूजराम लिखाकर करके वो आदमी पेण्ड्री का है। इसका पूरा पता एड्रेस हमारे पास है। इसकी रिपोर्ट हम एस पी साहब, कलेक्टर महोदय, तथा तहसीलदार महोदय को हम दे चुके

M/s Jindal Steel

है। उसका केवल नामांतरण नहीं हुआ है। रजिस्ट्री आलरेडी बिलासपुर में हो चुका है। आज मंच पर आदरणीय कलेक्टर महोदय बैठे है। मै उनके निवेदन करते हुए कागज उन तक पहुचाना चाहता हूँ। देख लिजिए बेचने वाला आदमी घूम रहा है, पुलिस कोई कार्यवाही नही कर रही है। ऐसे कम से कम 50 किसानो का जमीन बिका है। जिसको मालूम नहीं है और फर्जी पर्ची बन जाता है तथा फर्जी 22 कालम बन जाता है। रजिस्ट्री मस्तूरी मे न होकर बिलासपुर मे होता है। आज की डेट में आप डेट देख लिजिए हम अपना आवेदन कलेक्टर महोदय तथा एस पी महोदय को दिये है और जिसकी कॉपी हम तहसीलदार महोदय को भी दे चुके है। राजस्व मुख्यालय बिलासपुर को भी दे चुके है। हम कैसे संतुष्ट हो। ऐसा फर्जी रजिस्ट्री मै प्रमाण के लिए दे रहा हूँ। ऐसा अनेक फर्जी रजिस्ट्री हुआ है, और किसान को पता नहीं है। आत्महत्या क्यो करते है किसान, उसके पास इतना ही जमीन है, जो रजिस्ट्री हुआ है। इसके पास 5 बाल बच्चे है ये क्या करेंगा। बताईये इसका जमीन तो रजिस्ट्री हो गया। मै नियमतः मै चाहता हूँ कि उस चीज का विरोध करता हूँ। जहां जिस किसान को निजी जमीन जिससे उसका जीवको पार्जन होता है। उसको छीना गया है। उसका भविष्य कल क्या होगा इसकी चिंता न सरकार को है आप लोग जो बैठे है उसको भी नही है। क्या उनकी चिंता आप लेंगे कि उसके खेत जमीन छीनकर उसका रोजी रोटी दैनिक जीवन क्या उसके भविष्य के बारे से आप चिंता नही किये है। जन सुनवाई इस शर्त मे होना चाहिए कि अभी विरोध हो रहा है। इस सुनवाई को गांव–गांव में कोटवारो के माध्यम से मुनादी कराया जाये, और प्लांट की पूरी जानकारी, प्लांट से इस क्षेत्र को गांव वालो को क्या बेनीफिट मिलेगा, उससे क्या नुकसान होगा। प्लान क्या होगा। क्या यही के लोग रहेंगे। यह पूरी जानकारी होना चाहिए कि किसान की क्या–क्या नुकसान होगा। प्लांट लगने के बाद इसके बाद आप सहमति लेंगे।

13. **श्री मालिकराम डहरिया, विधायक प्रतिनिधि मा. अजीत जोगी** :– मै इस जन सुनवाई का घोर विरोध करता हूँ। अभी हमारे आदरणीय मधुकर जी बोले है कि यहां फर्जी बिक्री सैकडो हुआ है। उन लोग के उपर 420 का अपराध कायम होना चाहिए जो खरीदी किये है। जो जन सुनवाई हो रहा है, इस पॉवर प्लांट या लाईम स्टोन माईन का उनका जो प्लान है हैंडबिल कम्पयुटर प्रिंट करके पूरे विधानसभा मस्तूरी में बटवाईये। क्या–क्या इनका प्लान है। क्या–क्या करना चाहते है। क्या जनता को किसानो को क्या फायदा होगा इससे आम लोगो को यहां रहने वालो को यहां के आसपास जितने भी किसान है, उसको फायदा होगा कि नुकसान होगा। यह आप लोग भी जानते है, हम सब भी जानते है। इसका मै घोर विरोध करता हूँ।

14. **श्री गोविंद सेठी, लोकसभा क्षेत्र अध्यक्ष युवक कांग्रेस** :– जन सुनवाई में बिना सूचना के जन सुनवाई कराने का घोर विरोध करते है। और खदान खुलने का पर्यावरण एवं ग्रामीण स्वास्थ्य पर व्यापक असर पडेगा। अतः लाईम स्टोन खदान की अनुमति नहीं दी जावे।

15. **श्री रघुराज पाण्डेय, नई दुनिया मल्हार** :– प्रेस वालो को सूचना नहीं दिया गया है। जन सुनवाई रद्द कर नया तारीख फिक्स कर जन सुनवाई कराई जावे। इसका घोर विरोध करते है। अगामी तारीख तय कर प्रेस वालो को सूचना दे।

M/s Jindal Steel

16. **श्री कृष्ण मूर्ति बांधी, विधायक विधानसभा क्षेत्र मस्तूरी, बिलासपुर** :– जिला प्रशासन के अधिकारी को हमारा जो प्रश्न है, उसकी थोडी सी जानकारी देंगे। हमारा यह कहना है वर्मा साहब जन सुनवाई है, इस सुनवाई के लिए क्या ग्रामीणों को और जन प्रतिनिधियों को किस माध्यम से सूचना दिया गया है। इसकी सूचना देना अनिवार्य है या बिना सूचना के जन सुनवाई की कार्यवाही किया जाना है और ये बिना सुनवाई के कार्यवाही हो रही है। तो क्या यह जन सुनवाई का जो सभा है विधिसम्मत है या नहीं है। या कोई दूसरा तिथि तय करेंगे। आप नियम कानून के अनुसार इसका जवाब दे दीजिए।

अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा यह जानकारी दी गई कि पर्यावरण विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी, डॉ0 पटेल उपस्थित है लोक सुनवाई के संबंध में वस्तु स्थिति से अवगत करायेंगे।

क्षेत्रीय अधिकारी –भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के ई आई ए नोटिफिकेशन 2006 के प्रावधानो के अनुसार जन सुनवाई कराई जाती है। जिसके तहत् उद्योग द्वारा परियोजना के संबंध में बनाई गई ई आई ए रिपोर्ट का अंग्रेजी के साथ–साथ हिन्दी अनुवाद एवं सार रिपोर्ट हिन्दी एवं अंग्रेजी, सी0 डी0 सहित जन सामान्य के अवलोकनार्थ लोक सुनवाई की सूचना प्रकाशन के दिनांक से लोक सुनवाई तिथि तक स्थानीय स्तर पर संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय, जिला पंचायत कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय, जिला व्यापार एवं उद्योग विभाग कार्यालय, मे जनसामान्य के अवलोकनार्थ एवं अपने स्तर पर प्रचार–प्रसार कराने हेतु रखवाई जाती है। लोक सुनवाई की सूचना का प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्र में कराकर जनसामान्य को लोक सुनवाई की तिथि, समय एवं स्थान से अवगत कराया जाता है तथा अनुरोध किया जाता है कि इस दौरान परियोजना के संबंध में अपने सुझाव, विचार, टीका टिप्पणीयां क्षेत्रीय कार्यालय, छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर को प्रस्तुत कर सकते है। इस लोक सुनवाई के लिए उपरोक्त प्रक्रिया अपनाई गई है तथा ग्रामीणो को और जनप्रतिनिधियों को उपरोक्त माध्यम से सूचना देने का प्रावधान है। यह लोक सुनवाई विधिसम्मत है।

माननीय विधायक – पटेल जी पहले आप यह जानकारी दीजिए कि मान शब्द का प्रयोग जो कर रहे है, स्वंय देख लीजिए कि जिस प्रक्रिया का, जिस पद्वति से जन सुनवाई के लिए आपने व्यवस्था बनाया है वह न्यायोचित है या नहीं है। आप किस आधार पर मान सम्मान को रख रहे है। जिस पद्वति से आपने व्यवस्था बनाया हुआ है इस पर आप देख लीजिए, फिर मै आपके सूचना पर चर्चा करूंगा।

क्षेत्रीय अधिकारी – लोक सुनवाई की प्रक्रिया में कोई गलती नहीं है। जो कोई गलती है बताई जावे, उसे नियमानुसार पाये जाने पर सुधारा जा सकता है।

माननीय विधायक– आप सब हम कर्मचारी/अधिकारी लोग बैठे हुए है। आप ने जो ग्रामीणो को बुलाया हुआ है। ग्रामीणो को इस तपती धूप में मूलभूत सुविधा उनको मिलनी चाहिए। पानी की व्यवस्था नहीं है।

क्षेत्रीय अधिकारी –पानी की व्यवस्था उद्योग प्रबंधन द्वारा किया गया है। पानी की व्यवस्था है। बिजली की जनरेटर के माध्यम से अस्थाई व्यवस्था की गई, उसे कुछ लोगो द्वारा जबरन बंद करा दिया गया है।

M/s Jindal Steel

माननीय विधायक – मै जन प्रतिनिधि हूँ। मेरा अधिकार है कि नहीं। जिला पंचायत प्रतिनिधि, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत के सदस्यों को भाग लेने का अधिकार है कि नहीं। ग्राम पंचायत के सदस्यो को, ग्राम पंचायत के सदस्य जिनकी भूमि गई है, उनसे आपके द्वारा दस्तखत लिया गया है कि नहीं।

क्षेत्रीय अधिकारी–सभी जन प्रतिनिधियों का जन सुनवाई में भाग लेने एवं अपने विचार सुझाव, टीका टिप्पणियां रखने का अधिकार है। कार्यालय सरपंच ग्राम पंचायत गोंडाडीह के यहां जन सुनवाई के संबंध में समस्त दस्तावेज रखवाये गये है तथा सरपंच से दस्तावेज प्राप्ति रखने की पावती प्राप्त की गई है। यह भी अनुरोध किया गया है कि अपने स्तर से जन सुनवाई का प्रचार–प्रसार करावें।

माननीय विधायक – समाचार पत्र के आधार पर सूचना पर जन प्रतिनिधि एवं जन समुदाय जो संबंधित होते है, उन सब के लिए सूचनार्थ है, तो अधिकार सब को है। स्पष्ट हो गया कि जन प्रतिनिधि एवं जनता जो भी बोलेंगे को विधिसंगत अधिकार है। उसको नोट किया जाये।

क्षेत्रीय अधिकारी – जन सुनवाई के दौरान उपस्थित जन सामान्य/जन प्रतिनिधि अपने सुझाव, विचार व्यक्त कर सकते है। सभी के विचार विधिसंगत एवं मान्य है। सभी के विचारो को नोट किया जा रहा है साथ मे विडियों रिकार्डिंग भी की जा रही है।

17. **श्री नरेन्द्र सिंह, ग्राम–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा** :– इस पर्यावरणीय स्वीकृति का स्वागत एवं समर्थन करता हूँ। यह जन सुनवाई हमे अपनी बातो को रखने के लिए है। जन सुनवाई में अपना समर्थन या विरोध करना है, वे माईक में करे। मै यह जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।

18. **श्री अमित सोनी, बिलासपुर** :– मै जे. एस. पी. एल. के खदान खुलने का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ।

19. **श्री पन्ना लाल दिव्य, ग्राम–गोंडाडीह, मस्तूरी, बिलासपुर** :– अभी जो लोग जन सुनवाई का विरोध कर रहे है। वे लोग हमारे गांव गोंडाडीह के भावनाओ का विरोध किया जा रहा है। हम लोग की जन सुनवाई में अपनी बात नहीं रख जा रहे है। क्योकि इस जन सुनवाई में उनको क्या प्रस्ताव लाना है। क्या मांग करना है। यह हमारे गावं गोंडाडीह के लोगो को सोचना है। यह कि जन सुनवाई के कार्यक्रम का संपूर्ण समर्थन करता हूँ। और उनका धन्यवाद देता हूँ।

20. **श्री दीपक जायसवाल, बिलासपुर** :–मै जे. एस. पी. एल. खदान का समर्थन करता हूँ।

21. **श्री विरेन्द्र यादव, ग्राम–गोंडाडीह, मस्तूरी** :– मै समर्थन करता हूँ।

22. **श्री संदीप सिंह, ग्राम–किरारी, मस्तूरी** :– मेरा समर्थन है।

23. **श्री रवि यादव, मस्तूरी, बिलासपुर** :– मै समर्थन करता हूँ।

SSS Jindal Steel

24. **श्री कमलेश्वर, ग्राम–गोंडाडीह, मस्तूरी, बिलासपुर** :– समर्थन है।

25. **श्री मनोज भगत, ग्राम–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा** :– मै समर्थन करता हूँ।

26. **श्री अविनाश भगत, ग्राम–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा** :– समर्थन है।

27. **श्री विजय महंत, ग्राम–गोंडाडीह, मस्तूरी, बिलासपुर** :– समर्थन है।

28. **श्री मनोज कुमार मधुकर, ग्राम–पचपेडी, मस्तूरी, बिलासपुर** :– समर्थन है।

29. **श्री अजय निराला, बिलासपुर** :– समर्थन करता हूँ।

30. **श्री राजकपूर भारतद्वाज, ग्राम–धुरवाकोटी, मस्तूरी, बिलासपुर** :– समर्थन है।

31. **श्री नर्मदा, ग्राम–धुरवाकारी, मस्तूरी, बिलासपुर** :– समर्थन है।

32. **श्री भरत चंद्राकर, ग्राम–गोंडाडीह, मस्तूरी, बिलासपुर** :– समर्थन है।

33. **श्री बसंतदास मानिकपुरी, ग्राम–गोंडाडीह** :– समर्थन है। जन सुनवाई चालू किया जावे।

34. **श्री अमित भारतद्वाज, ग्राम–धुरवाकारी** :– समर्थन है।

35. **श्री राजकुमार, बिलासपुर** :– समर्थन है।

36. **श्री राजू कश्यप, ग्राम–गोंडाडीह** :– समर्थन है।

37. **श्री उपेन्द्र कुमार यादव, ग्राम–गोंडाडीह** :– समर्थन कर रहे है। खदान खुलने से बेरोजगारी भागेगा।

38. **श्री धनेश्वर यादव, ग्राम–गोंडाडीह** :– समर्थन है। गोंडाडीह में फैक्ट्री खुलना चाहिए।

39. **श्री रामराय, ग्राम–गोबरी** :– फैक्ट्री खुलने का समर्थन है।

40. **श्री रामप्रसाद, ग्राम–गोबरी** :– समर्थन है।

M/s Jindal Steel

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य जन समुदाय द्वारा लाईम स्टोन माइंस स्थापना के संबंध में कोई सुझाव, विचार, टीका टिपण्णीयां व्यक्त नहीं किया गया है। अपर कलेक्टर एवं लोक सुनवाई की कार्यवाही के अध्यक्ष द्वारा उपस्थित जन समुदाय से अपील की गई कि यदि कोई व्यक्ति चाहे तो अपना सुझाव, विचार, आपतियां प्रस्तुत कर सकता है। इसके उपरांत भी उपस्थित जन समुदाय द्वारा मौखिक रूप से अन्य सुझाव, विचार, आपत्तियां व्यक्त नहीं की गई है। अंत में अपर कलेक्टर एवं लोक सुनवाई की कार्यवाही के अध्यक्ष द्वारा लोक सुनवाई में सभी जन समुदाय को लोक सुनवाई में भाग लेने एवं आवश्यक सहयोग देने के लिए धन्यवाद देते हुए लोक सुनवाई की कार्यवाही समाप्त घोषित की गई।

लोक सुनवाई के दौरान प्रमुख आपत्ति/सुझाव/विचार निम्नानुसार है :–

बिलासपुर तथा अन्य स्थान से आए जन प्रतिनिधियों की आपत्ति थी कि लोक सुनवाई के लिए स्थानीय विधायक, जिला पंचायत के सदस्यो, जनपद सदस्यो एवं ग्राम पंचायत के सदस्यों को व्यक्तिगत तौर पर आमंत्रित नहीं किया गया। इसलिए जन सुनवाई स्थगित की जावे। माननीय विधायक द्वारा जन सुनवाई की व्यवस्था पर नाराजगी व्यक्त की गई। जबकि परियोजना के स्थापना के संबंध में लिखित में सहमत व्यक्त की गई। स्थानीय लोगो द्वारा जन सुनवाई एवं परियोजना का समर्थन किया गया।

उपरोक्त के अतिरिक्त लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित जन समुदाय मे से 186 के द्वारा लिखित में समर्थन पत्र प्राप्त हुआ है। जो कि मूलतः संलग्न है। लोक सुनवाई प्रकाशन से लोक सुनवाई की तिथि 02.04.2011 तक क्षेत्रीय कार्यालय, छ0ग0 पयावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर में 18 सामान्य पत्रों के माध्यम से एवं 830 पोस्ट कार्ड के माध्यम से समर्थन में पत्र प्राप्त हुआ है। जो कि मूलतः संलग्न है। सम्पूर्ण कार्यवाही की विडियोग्राफी कराई गई। लोक सुनवाई में लगभग 400–500 जनसामान्य की उपस्थिति रही, जिसमें से 40 वक्ताओं ने उद्योग स्थापना के संबंध में अपना सुझाव/विचार एवं आपत्तियां व्यक्त किये तथा उपस्थित जन समुदाय मे से 50 लोगो द्वारा अपने उपस्थिति, उपस्थिति पत्रक में दर्ज कराई।

2.4.

(डॉ0 सी0 बी0 पटेल)
क्षेत्रीय अधिकारी,
छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मंडल,
बिलासपुर

2/4/11

(टी. के. वर्मा)
अपर कलेक्टर,
जिला–बिलासपुर

M/s Jindal Steel